झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक :– 15.06.2016

संख्या–15/अनु०–कर्मचारी(नियमावली)–23–04/2014 का.–5028/भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के समाहरणालय के लिए लिपिकीय संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**

(i) संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली–2016' कही जायेगी।

(ii) विस्तार :– इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) प्रभाव की तिथि :– यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएँ**

(क) राज्य :– 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य,

(ख) संवर्ग :– 'संवर्ग' से तात्पर्य है राज्य के अधीन समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग,

(ग) आयोग :– 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

(घ) विभाग :– 'विभाग' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली के द्वारा यथानिर्धारित विभाग,

(ङ.) विभागाध्यक्ष :– 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी/प्राधिकार एवं समय–समय पर सरकार द्वारा घोषित विभागाध्यक्ष,

(च) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियुक्ति पदाधिकारी, जो समाहरणालय के लिपिकीय पदों पर नियुक्ति के लिए वर्तमान में अधिकृत हैं;

(छ) परीक्ष्यमान :– 'परीक्ष्यमान' से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो समाहरणालय के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो,

(ज) 'वरीयता सूची' से अभिप्रेत है लिपिकों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो;

(झ) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है सम्बद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्री पदाधिकारी,

(ञ) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

3. **संवर्गीय संरचना एवं बल**

(क) जिलों के समाहरणालय में लिपिकीय संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :–

क्र०	कोटि/पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह (कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–5216 दि०–30.08.2010 के अनुसार)	श्रेणी
(i)	निम्नवर्गीय लिपिक	1. ₹ 5200–20200(पी०बी०-I) ग्रेड वेतन 1900	समूह 'ग'	अराजपत्रित
(ii)	उच्चवर्गीय लिपिक	₹ 5200–20200(पी०बी०-I) ग्रेड वेतन ₹ 2400 2. उक्त वेतनमान में 02 वर्षों की नियमित सेवा करने के पश्चात् वरीय वेतनमान ग्रेड पे ₹ 2800 आदेय।	समूह ग	अराजपत्रित

15/6/16

(iii)	प्रधान लिपिक	₹ 9300–34800(पी०बी०II) ग्रेड वेतन ₹ 4200	समूह 'ख'	अराजपत्रित
(iv)	कार्यालय अधीक्षक	₹ 9300–34800(पी०बी०–II)ग्रेड वेतन ₹ 4600	समूह 'ख'	अराजपत्रित
(v)	प्रशासी अधिकारी	₹ 9300–34800(पी०बी०II) ग्रेड वेतन ₹ 4800 2. उक्त वेतनमान में 04 वर्षों की नियमित सेवा करने के पश्चात् वरीय वेतनमान (पी०बी०II) ग्रेड पे ₹ 5400 आदेय।	समूह 'ख'	राजपत्रित

(ख) अधिकृत बल :– लिपिकीय पदों के अधिकृत बल वही होंगे जो किसी कार्यालय के लिपिकीय कार्यों के लिए वर्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

(ग) प्रत्येक समाहरणालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत सम्वर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी :–

(i) समाहरणालय के अधिकृत बल का 45 प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद माने जायेंगे।

(ii) अधिकृत बल के 30 प्रतिशत लिपिकीय पद उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(iii) अधिकृत बल का 20 प्रतिशत पद प्रधान लिपिक के पद माने जायेंगे।

(iv) अधिकृत बल के 05 प्रतिशत पद कार्यालय अधीक्षक के पद माने जायेंगे। प्रत्येक समाहरणालय में प्रशासी अधिकारी का मात्र एक पद रहेगा, जो कार्यालय अधीक्षक के अधिकृत बल के अंतर्गत होगा।

कार्यालय अधीक्षक के पदों का वितरण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक अनुमण्डल में कम–से–कम एक कार्यालय अधीक्षक रहे।

4. (क) <u>निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भर्त्ती की प्रक्रिया</u>

(i) रिक्ति की गणना :– प्रत्येक वर्ष 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी। कोटि में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से तथा 15 प्रतिशत पद समूह 'घ' से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ii) समाहरणालय लिपिकीय पदों की भर्त्ती समाहरणालय की अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से मेधा क्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(iii) रिक्तियों का नियतीकरण :– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्ति का 85 प्रतिशत सीधी भर्त्ती के लिए तथा शेष 15 प्रतिशत पदों पर समूह 'घ' के नियमित स्थापना में नियुक्त एवं निम्नवर्गीय लिपिक के निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले समूह 'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति से अनुमान्य होगी।

(iv) आरक्षण :– राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता :–**

(i) अनिवार्य योग्यता :– सीधी भर्त्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्त्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियेट कांउसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

15/6/16.

(ii) हिन्दी टाईपिंग में कम–से–कम 25 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग की गति अनिवार्य अर्हता होगी। कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी।

(ग) उम्र सीमा :– न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो।

(घ) चयन प्रक्रिया :– कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–8566 दिनांक–28.09.2015 के द्वारा गठित एवं समय–समय पर यथासंशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमिडियट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा।

(ङ.) तत्पश्चात् सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा भर्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। सफल उम्मीदवारों को योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

5. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण:**

लिपिकीय पदों पर खुली प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त कर्मी नियुक्ति होने की तिथि से परिवीक्षाधीन लिपिक माना जायेगा जिन्हें समाहरणालय के कार्यालयों के विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं टंकण आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी तथा इसका संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी।

6. **सम्पुष्टि**

परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। कार्यालय प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के पश्चात् उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

7. **नियुक्ति**

अधियाचित रिक्ति के विरूद्ध आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों का आवंटन मेधा–सह–विकल्प के आधार पर संबंधित समाहरणालय के नियुक्ति प्राधिकार को की जायेगी।

8. **वरीयता**

प्रत्येक कार्यालय में नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर संधारित की जायेगी एवं अन्य पदों पर एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।

15/6/16

(i) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।

(ii) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत लिपिकीय पदों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) कर्मियों की भर्ती एक साथ ही प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से होने की स्थिति में प्रोन्नत कर्मियों को सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के मुकाबले वरीयता मिलेगी।

9. **प्रोन्नति**

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह– योग्यता (Seniority-cum-Merit) पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Gradewise) कर्णांकन केन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक समाहरणालय द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नति के निमित्त समाहरणालय स्तर पर समेकित वरीयता सूची विभागाध्यक्ष के स्तर पर संधारित होगी एवं उक्त सूची से प्रोन्नति दी जायेगी। निम्नवर्गीय लिपिक की समेकित वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित सूची के मेधाक्रमानुसार होगी।

(iv) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

(v) कालावधि :– विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

(vi) प्रोन्नति हेतु आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

10. **पदस्थापन/स्थानान्तरण**

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

11. अवकाश/चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई**

अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

13. **प्रकीर्ण**

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

15/6/16

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

14. **निरसन और व्यावृत्ति**

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/6/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/अनु०–कर्मचारी(नियमावली)–23–04/2014 का०–5028 /राँची, दिनांक– 15.06.2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित

15/6/16
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/अनु०–कर्मचारी(नियमावली)–23–04/2014 का०–5028 /राँची, दिनांक– 15.06.2016

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/16
सरकार के प्रधान सचिव।